न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 06 / 21 **वर्ष 2021**

जीसीएम संख्या :–2021 / 96

बउनवानीः–मंदिर श्री चौथ माता ट्रस्ट चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर पंजीयन संख्या 97 / 1997 दिनांक 30.6.1997 जरिये मंत्री श्री श्रीदास सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह राजावत नि0सवाईमाधोपुर

बनाम

1. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सचिव, ग्रा.प. चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
2. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच ग्रा.प. चौथ का बरवाडा जिला,स0मा0

(निगरानी विरूद्व प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 22.2.2021 द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा पंचायत समिति चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री आशिष कुमार जैन — वकील प्रार्थी
2. श्री सुधीर कुमार जैन — वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– **दिनांक 11.8.2021**

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 22.2.2021 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित प्रस्ताव अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत प्रस्तुत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील निगरानीकार ने दौराने सुनवायी कथन किया कि ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा सायल मंदिर जी के आवेदन पत्र दिनांक 8.5.2012 के तहत सायल को शिव मंदिर सी.सी. रोड़ एवं परकोटा गढ के मध्य की भूमि ग्राम के सौन्दर्यकरण ,यात्रियों की सुविधा एवंज न उपयोगार्थ अप्रार्थी ने अपने प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 10.5.2012 के तहत पार्क निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गयी है जिस पर तब से आज तक सायल मंदिर जी ने तकरीबन 20–25 लाख रूपये का निवेश कर चारदीवारी करवाकर पानी, बिजली की सुविधा से युक्त एक सुंदर पार्क के रूप में विकसित किया है। उक्त प्रस्ताव के तहत ही सायल मंदिर जी ने उक्त भूमि पर पार्क विकसित कर इसमे आम, अमरूद,आवला इत्यादि के फलदार वृक्षो के अलावा अन्य कई पेड पौधे उगाकर इसे काफी सुन्दरता के साथ आमजन के हित सुविधार्थ विकसित किया है। इस पार्क की सार–सम्भाल देखरेख नियंत्रण इसी प्रस्ताव के तहत [illegible] मंदिर जी द्वारा किया जा रहा है जिसमे समस्त ग्रामवासी व समस्त [illegible] घूमते है। ग्राम के वाशिन्दान प्रातःकाल एवं सायंकालीन भ्रमण के लिए बहुतायत [illegible] आते है इसमे उगाये गये फलदार वृक्षो का भी आम जन ही उपयोग करता है इनसे किसी प्रकार की कोई आमद [illegible] मंदिर जी द्वारा नही की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:14 IST
Reason: SelfAttested

यह तर्क भी दिया कि गैर सायलान के प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 10.5.2021 के के विरूद्व तत्कालीन समय मे एक निगरानी प्रकरण संख्या 12/2013 उनवानी रामधन धाकड बनाम ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जो दिनांक 30.3.2017 को खारिज करते हुए ग्राम पंचायत के उक्त प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 10.5.2012 को यथावत रखा गया है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 अपने निजी स्वार्थ के कारण गढ में कारोबाररत कम्पनी को यह सार्वजनिक पार्क देने की कुचेष्ठा धारण की हुई है जिसके तहत निगरानी कर्ता को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना ही मनमाने तोर पर पोषदगी मे एक पक्षीय प्रस्ताव जैरे निगरानी पारित किया गया है जो कतई खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से हर सूरत मे अपास्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी द्वारा अपने निजी स्वार्थो की पूर्ति मे उक्त विधि विरूद्व कार्यवाही अधिकारों का उल्लंघन कर पारित की जा रही है इसके क्रम में अप्रार्थी ने दिनांक 22.1.2021 को प्रस्ताव संख्या 8 पारित किया था जिसके तहत निगारानीकार को नोटिस जारी करने का स्पष्ट उल्लेख होते हुए भी इसकी पालना मे आज तक कोई नोटिस सुनवायी का अवसर प्रदान करने का नही दिया है और कतई खिलाफ कानून एक पक्षीय प्रस्ताव जैर निगरानी पारित किया है जो हर सूरत मे काबिले अपास्तनीय है।

यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी ने एक ओर जहॉ 22.1.2021 को सदस्यों के प्रस्ताव के तहत कार्यवाही किया जाना उल्लेखित किया है वही ऑफटर थॉट कानूनी सलाह से बाद मे 22.2.2021 को आम जनता चौथ का बरवाडा का प्रार्थना पत्र झूंठा अवलम्बन लेकर प्रार्थीगण को बिना सुनवायी का अवसर दिये आनन फानन में कतई अवैध रूप से पारित किया है जबकि आम जनता की निगरानी पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.3.2017 को खारिज कर प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 10.5.2012 की पुष्टि कर यथावत रखा गया है। यह तर्क भी दिया कि प्रस्ताव जैर निगरानी के क्रम में गैर सायलान ने एक झूंठा नोटिस क्रमांक 177 दिनांक 1.3.2021 व दूसरा झूंठा नोटिस क्रमांक 13–14 दिनांक 1.6.2021 को प्रार्थी को प्रेषित किया है। जिसमे अप्रार्थी ने दिनांक 22.2.2021 के प्रस्ताव के तहत सायल के पक्ष मे जारी पार्क निर्माण की वर्ष 2012 की अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाना प्रकट किया है जबकि दिनांक 22.2.2021 के प्रस्ताव जैर निगरानी में ऐसा कोई आदेश/प्रस्ताव नही है तथा नोटिस दिनांक 1.3.2021 मे पार्क की भूमि पर अमरूद के पेड लगाकर व्यवसायिक उपयोग करना भी प्रस्ताव के विरूद्व मनमाने तौर पर कतई झूंठा लिखा है और मनमाने तौर पर विधि विरूद्व कार्यवाही को अन्जाम दिया गया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 1.3.2021 के नोटिस का जवाब तत्काल ही सायल ने गैर सायल को प्रस्तुत किया है। यह तर्क भी दिया कि प्रस्ताव जैर निगरानी पारित करने का कोई अधिकार ग्राम पंचायत मे निहित नही है। यह तर्क भी दिया कि प्रस्ताव जैर निगरानी दिनांक 22.2.2021 की सर्वप्रथम जानकारी अथक प्रयास के बाद हासिल नकल दिनांक 8.6.2021 से पूर्ण रूप से होने व दिनांक 20.4.20[illegible]2021 तक कोविड–19 के कारण लॉक डाउन अवधि के मुजरा किये [illegible] अन्दर मियाद पर्याप्त कोर्ट फीस स्टाम्प पर श्रीमान के समक्ष पेश है। [illegible] निगरानी अपास्त फरमाया जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:14 IST
Reason: SelfAttested

(निगरानी संख्या 6/2021 मंदिर श्री चौथ माता ट्रस्ट बनाम ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा)

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकार को धारा 97 राजस्थान पंचायत एक्ट 1994 के तहत निगरानी पेश करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के समक्ष दिनांक 8.5.2012 को निवेदन कर यात्रियों की सुविधा एवं ग्राम के सोन्दर्यकरण के मध्य नजर शिव मंदिर सी.सी.रोड व गढ के मध्य के बीच की भूमि पर पौधे लगाकर व पानी का साधन करने व पार्क बनाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहे जाने पर ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 10.5.2012 को पारित कियां व ट्रस्ट ने ग्राम पंचायत का स्वामित्व स्वीकार करते हुए गार्डन की देखरेख ट्रस्ट द्वारा किये जाने गार्डन जन उपयोग हेतु ट्रस्ट द्वारा पुख्ता निर्माण सुरक्षा दिवार के अतिरिक्त नही करने एवं ग्राम पंचायत द्वारा टैक्स लगाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए अनुबंधों के साथ पार्क निर्माण कराये जाने हेतु अपनी आबादी भूमि मे से पार्क बनाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहे जाने पर ग्राम पंचायत की साधारण सभा के प्रस्ताव संख्या 9 से ख0न0 1167 रकबा 0.7600 है0 मे से कुछ भूमि की अनुज्ञा/अनापत्ति जारी की थी (यद्यपि मूल प्रस्ताव मे ख0न0 अंकित नही है नही नाप अंकित है जिससे स्पष्ट नही है कि कितने ऐरिया के लिए एन.ओ.सी. जारी की गयी है इसकी आड मे 0.8300 है0 भूमि पर निगरानीकार ने कब्जा कर लिया जैसा कि जवाब दिनांक 2.3.2021 मे स्वंय निगरानी ने स्वीकार किया है। "अब पार्क बनाने की योजना है" ऐसे हालात मे एन.ओ.सी जारी करने के 9 वर्ष बाद भी पार्क नही बनाना ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बदयान्ति को सिद्व करता है। ग्राम पंचायत इस आबादी भूमि का स्वामी है तथा स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करते हुए निगरानीकार को एन.ओ.सी जारी की थी इस प्रकार ग्राम पचायत व ट्रस्ट के इस संव्यवहार मे अनुज्ञप्तिदाता (Licensor) व अनुज्ञप्तिधारी (Licensee) के है। निगरानीकार के पक्ष में अनुज्ञप्ति जारी की है। कोई टाईटल का ट्रांसफर नही किया है (Licensor) को (Licensee) कभी भी Revoke करने का पूरा पूरा अधिकारी है। इस मामले मे Maxim of Ubi Jus Ibi Remedium) अर्थात जहॉ अधिकार है वहॉ उपचार है (Where there is right there is remedy) का सम भी लागू होता है जब निगरानीकार के किसी अधिकार का हनन नही हुआ है तो वह कोई उपचार प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि निगरानीकार एक ट्रस्ट है जिसको आवश्यक रूप से आय मे से जन हितार्थ खर्च करना पडता है। 20–25 लाख का खर्चा ट्रस्ट का होना बताया है अगर यह मान भी लिया जावे तो ट्रस्ट का उद्वेश्य लाभ कमाना नही होता है। इसलिए ट्रस्ट के पदाधिकारियो की घरू रकम इसमे खर्च नही हुई है बल्कि जनता ने चौथ माता के नाम से दी गयी सहयोग राशि या दान राशि है उसका उपयोग [illegible] ग्राम पंचायत भी संविधान के तहत (Local body) है। जो ग्राम की [illegible] करवाती है इसलिए यदि भूमि का ग्राम पंचायत को कब्जा पुनः प्राप्त [illegible] तो यह गैर कानूनी नही है। ग्राम पंचायत चूंकि स्वामी है उसको भूमि को बेचने , ली[illegible] पर देने या अन्य तरीके से उपयोग करने का पूरा अधिकार है ग्राम पंचायत स्वामी है इसलिए इससे राजस्व बढाने के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:14 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार है लिहाजा निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि निगरानीकार के पदाधिकारियों ने ट्रस्ट की आड में बेशकीमती भूमियों पर कब्जा कर निर्माण कर लिया है। आबादी भूमि रिजर्व मेला मैदान मे तीन मंजिला धर्मशाला करीबन 5000 वर्ग मीटर मे बना ली है जिसमे एक कमरे का प्रतिदिन का किराया 300–600 रूपये तक का है इस धर्मशाला के पीछे अस्पताल का नाम लेकर एक मैरिज गार्डन बना लिया है जिसका एक दिन का किराया 31000/–रू वसूल किया जाता है। ग्राम पंचायत ने अपनी आबादी भूमि मे से गणेश बगीची ट्रस्ट को पार्क बनाने के लिए दी थी उसको भी मेरिज गार्डन मे उपयोग मे लिया जा रहा है तथा 11,000/–रू एक दिन का किराया वसूल किया जाता है। यह तर्क भी दिया कि विवादग्रस्त भूमि के Adjoining माताजी तालाब के किनारे राज राजेश्वर मंदिर के चारो तरफ की करीब 0.7500 है0 भूमि ट्रस्ट को पार्क के लिए गांव के द्वारा दी हुई है जिस पर पार्क बना हुआ है, दोब लगी हुई है ,तथा लोग बाग दर्शनार्थ एवं टहलने आते है। जब यह शिव मंदिर पार्क ट्रस्ट द्वारा संचालित है तो जगह जगह पार्क बनाने व बेशकीमती भूमि को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नही है। इसलिए ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 22.2.2021 किसी भी कोण से गैर कानूनी या विधि विरूद्व नही है। यह तर्क भी दिया कि निगरानीकार स्वच्छ हाथो से न्यायालय के समक्ष नही आया है जो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथो से नही आता है उसको कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही होता है। अतः उपरोक्त हालात मे निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने के कारण निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षों की और से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को श्रवण करने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी निगरानीकार के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 10.5.2012 से उक्त भूमि ट्रस्ट को पार्क निर्माण करने हेतु दी गयी थी जिसपर ट्रस्ट द्वारा 20–25 लाख रूपये खर्च कर आम जनता एवं यात्रियों की सुविधा हेतु पार्क का निर्माण किया गया है। किन्तु अब आदेश जैर निगरानी प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 22.2.2021 से ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पार्क को अपने आधिपत्य मे लेने बाबत नोटिस जारी किया है। जबकि प्रस्ताव संख्या 9 के विरूद्व माननीय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर मे निगरानी संख्या 12/2013 उनवानी रामधन धाकड बनाम ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जो दिनांक 30.3.2017 को खारिज करते हुए ग्राम पंचायत के उक्त प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 10.5.2012 को यथावत रखा है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण को प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 10.5.2021 द्वारा आदेश जैर निगरानी से संबंधित भूमि को प्रार्थी ट्रस्ट के प्रार्थना पत्र पर आम जनता एवं यात्रियों की सुविधा हेतु पार्क निमार्ण करने बाबत दी गयी थी किन्तु ट्रस्ट द्वारा उक्त भूमि पर आज दिनांक [illegible] तक कोई पार्क निर्माण नही किया है जैसा कि उन्होने अपने जवाब 2.3.2021 में अंकित किया है [illegible] पार्क बनाने की योजना है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय मे उक्त प्र[illegible] के विरूद्व प्रस्तुत निगरानी संख्या 12/2013 दिनांक 30.3.2017 को इस आधार पर खारिज की गयी थी कि निगरानीकर्ता श्री रामधन धाकड का प्रस्ताव संख्या 9 से संबंधित भूमि पर कोई हित निहित नही था क्योकि उक्त भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की थी किन्तु अब प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 10.5.2012 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:14 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम पंचायत का हित प्रभावित हो रहा है इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 10.5.2012 को आदेश जैर निगरानी प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 22.2.2021 से खारिज करते हुए उक्त भूमि पर अपना स्वामित्व वापस लिया है। उक्त विवेचन से यह सिद्व होता है कि प्रस्ताव संख्या 9 मे वर्णित भूमि ट्रस्ट को मात्र जनसुविधाऐं हेतु सड़क एवं पार्क निर्माण हेतु दी गयी थी उक्त भूमि पर ट्रस्ट को कोई मालिकाना हक उक्त प्रस्ताव से नही दिया गया था तथा मुताबिक मौका रिपोर्ट तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पार्क फेन्सिंग, अशोक के वृक्ष, छतरी, बेंच पुराने बने हुए है तथा अमरूद व अन्य फुलवारी के पौधे करीब 18 माह पुराने तथा बच्चो के मनोरंजन के साधन, पैदल पथ,बाईपास, की तरफ का दरवाजा गार्ड रूम ,दूब इसी वर्ष लगाये गये है। जिससे वकील अप्रार्थी के इस कथन की पुष्टि होती है कि ट्रस्ट द्वारा उक्त भूमि पर अब तक (9 वर्ष बाद तक भी) पूर्ण रूप से पार्क का निर्माण नही किया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आदेश जैर निगरानी पारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे प्रार्थी को सुनवायी का अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर निगरानी खारिज किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रार्थी को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। एवं जनहित मे बगीचे का संचालन सही किये जाने हेतु तथा बगीचे में होने वाली फसल का जनहित मे उपयोगिता सुनिश्चिता करने हेतु ग्राम पंचायत प्रशासनिक अधिकारियों की समिति गठित करवायी जाकर रिपोर्ट के अनुसार जनहित मे प्रबंधन कराया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.8.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:14 IST
Reason: SelfAttested